

श्री बैद्यनाथ प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-18/2/3015 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -</p> <p>1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुप्पी अंचल के जमला परसा ग्राम में बागमती नदी का बांया तटबंध निर्मित है;</p> <p>2. क्या यह बात सही है कि माह जनवरी 2026 में तटबंध निर्माण एजेंसी गाबर कंस्ट्रक्शन प्रा०लि० के द्वारा अबैध तरीके से पूर्व से निर्मित निर्माण तटबंध से करीब 7000 (सात हजार) घनमीटर मिट्टी निकाल कर अन्यत्र बेच दिया गया है;</p> <p>3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व से निर्मित तटबंध से मिट्टी निकालने वाले दोषी ठेकेदार एवं इस कृत में संलिप्त अभियंताओं के विरूद्ध विधि सम्मत कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के सुप्पी अंचल स्थित जमला परसा ग्राम क्षेत्र में बागमती नदी का बायाँ एफलक्स तटबंध कि०मी० 0.00 से कि०मी० 4.00 तक अवस्थित है।</p> <p>वर्तमान में बागमती नदी के बाएँ एवं दाएँ तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढीकरण तथा सुरक्षात्मक कार्य के अंतर्गत उक्त तटबंध पर कार्य प्रगति पर है।</p> <p>उक्त कार्य का क्रियान्वयन गावर कंस्ट्रक्शन प्रा०लि० के द्वारा किया जा रहा है, जिसका एकरारनामा दिनांक 02.08.2025 को किया गया है।</p> <p>उक्त कार्य में तटबंध के नदी भाग में तटबंध के टो के समीप 5.4 मीटर की चौड़ाई एवं 1.5 मीटर औसतन गहराई में ट्रेंच काटकर गैबियन के एप्रन का निर्माण करना है तथा स्लोप पर प्रोफाइल बनाकर जियोबैग से पिचिंग का कार्य कराया जाना है।</p> <p>ट्रेंच से निकाली गयी मिट्टी का उपयोग बाँध पर ही उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में किया जा रहा है जिसका प्रावधान प्राक्कलन में है।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मुज0)-05-144/2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/3015 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मुज0)-05-144/2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मुज0)-05-144/2026-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मुज0)-05-144/2026-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1465

पटना, दिनांक- 25/03/2026



(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

